

प्रेषक,

एन०एस० नपलच्चाल,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

नियोजन अनुमान-2

देहरादून, दिनांक: १३ दिसम्बर, 2009

विषय:- राज्य में सांख्यकीय कार्यों हेतु अर्थ एवं संख्या निदेशालय को नोडल एजेन्सी घोषित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

राष्ट्रीय सांख्यकीय आयोग की संस्तुतियों पर सांख्यकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत सांख्यकीय सुदृढीकरण परियोजना की सरचना की गई है। इस परियोजना के अन्तर्गत राज्य के सांख्यकीय तंत्र का सुदृढीकरण किए जाने तथा राज्य स्तर पर सांख्यकीय गतिविधियों में तकनीकी समन्वय स्थापित किए जाने के उद्देश्य से एतद्वारा अर्थ एवं संख्या निदेशालय उत्तराखण्ड को तत्काल प्रभाव से राज्य स्तर पर नोडल एजेन्सी घोषित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। नोडल एजेन्सी के रूप में अर्थ एवं संख्या निदेशालय के निम्न दायित्व होंगे:-

- 1- राज्य में विभिन्न विभागों/संगठनों द्वारा की जा रही सांख्यकीय गतिविधियों हेतु समन्वयक का कार्य, जिससे की आंकड़ों की गुणवत्ता और उनका समुचित रख-रखाव सुनिश्चित हो सके।
- 2- विभिन्न विभागों के द्वारा आंकड़ों के एकत्रीकरण, सारणीयन, उपयोग तथा उन्हें उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक मानकों का निर्धारण कर आंकड़ों के संग्रहण एवं सारणीयन में दोहराव को समिति/समाप्त करना।
- 3- ऐसे क्षेत्रों, जिनके आंकड़े उपलब्ध न हों, को विनिहित कर उनसे समन्वित आंकड़ों के संग्रहण हेतु समन्वित विभाग से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करते हुए सर्वेक्षण का प्रारूप और कार्यविधि इत्यादि सुनिश्चित करना।
- 4- विभिन्न विभागों में लागू सांख्यकीय योजनाओं को समय-समय पर अंकलन कर उन्हें सुगठित करना और विभागों द्वारा जारी की जा रही सांख्यकी की जांच करना।

अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा उपरोक्त दायित्वों के सफलतापूर्वक निर्वहन हेतु समस्त विभागों से यह अपेक्षा की जाती है की वे विभागीय सर्वेक्षणों और विशेष सांख्यकीय कार्यों से समन्वित समितियों व बैठकों में निदेशक, अर्थ एवं संख्या को सदस्य के रूप में घोषित करेंगे तथा समस्त विभाग निदेशक अर्थ-एवं संख्या को बैठकों की सूचना सासमय देंगे।

उक्त के अतिरिक्त विभागों द्वारा तैयार किये गये सांख्यिकीय प्रतिवेदनों की प्रतिलिपि निदेशक, अर्थ एवं संख्या को प्रकाशन से पूर्व अनुमोदन हेतु तथा प्रकाशनोपरान्त सन्दर्भ हेतु उपलब्ध करायी जानी आवश्यक होगी। समस्त विभाग निदेशक, अर्थ एवं संख्या द्वारा बांधित आंकड़ों को समस्य उपलब्ध कराये जाने के अतिरिक्त आवश्यकता अनुरूप सांख्यिकीय एकत्रीकरण-प्रारूप को निदेशक, अर्थ एवं संख्या के संज्ञान में लाते हुए संशोधित किया जाना भी सुनिश्चित करेंगे।

(एन०एस० नपलच्चाल)
मुख्य सचिव।

संख्या: ०५ (1)/XXVI/दो (16)/2008, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— सचिव, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, सरकार पटेल भवन, नई दिल्ली।
- 2— महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली।
- 3— उप महानिदेशक, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली।
- 4— निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
- 5— निजी सचिव, मा० नियोजन मंत्री, उत्तराखण्ड।
- 6— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 7— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 8— निजी सचिव, सचिव नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
- 9— निदेशक अर्थ एवं संख्या, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 10— निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 11— गाड़ फाइल।

आज्ञा से,

(राधा रत्नाली)
सचिव।